राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), शासन सचिवालय, जयपुर
Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com

क्रमांक : एफ 40(35)ग्रावि/नरेगा/व्य0 ला0 का/पार्ट–3/2015 जयपुर, दिनांक 16 JUL 2015

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर
करौली।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य कराने बाबत।

प्रसंगः– आपका अ0शा0 पत्र क्रमांक 1172 दिनांक 16.06.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कम श्रमिक नियोजन के कारण एवं अधिक श्रमिक नियोजन हेतु किये गये प्रयासों एवं इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से अवगत कराया है। विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 26.06.2015 (प्रति संलग्न) द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुल व्यय राशि की कम से कम 30 प्रतिशत राशि व्यक्तिगत लाभ के कार्यों पर व्यय किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कृपया जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य अधिक से अधिक संख्या में स्वीकृत करवा कर कार्य सम्पादित करावें।

भवदीय

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

16.7.15

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकः एफ 40(35)ग्रावि/नरेगा/व्य.ला.कार्य/पार्ट–3/2015 जयपुर, दिनांक : 26 JUN 2015

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलेक्टर,
समस्त

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य बाबत।

प्रसंगः–विभागीय पत्र क्रमांक एफ 40(35) ग्रावि/नरेगा व्य0 लाभ के काम/2011 दिनांक 4/27.05.2011

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 19.05.15 को आयोजित राज्य मंत्रीमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के कम में यह निर्देश दिये गए हैं कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में व्यय के हिसाब से 30 प्रतिशत कार्य व्यक्तिगत लाभ के करवाये जावें।

इस संबंध में लेख है कि प्रासंगिक पत्र दिनांक 4/27.05.2011 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य "अपना खेत अपना काम" करवाने बाबत दिशा निर्देश जारी किये गये थे। प्रासंगिक पत्र के बिन्दु संख्या 11 के बाद दूसरे पैरेग्राफ पर उल्लेख है कि "यह आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसत रूप से वर्ष पर्यन्त सृजित होने वाले कुल मानव दिवसों में से कम से कम एक चौथाई मानव दिवसों का सृजन व्यक्तिगत लाभ के कार्यों हेतु करने के लिए वार्षिक कार्य योजना बनाई जावे एवं यथासम्भव अन्य अपूर्ण/प्रगतिरत एवं आवश्यक कार्य भी वार्षिक कार्य योजना में ले लिये जावे ताकि उत्तरोतर आगामी वर्षों में व्यक्तिगत लाभ के कार्यों की मात्रा कुल एक चौथाई मानव दिवसों से अधिक बढाई जा सकें।"

भारत सरकार के नवीनतम दिशा निर्देशानुसार दिनांक 21.07.2014 अनुसार अब योजनान्तर्गत कुल व्यय का 60 प्रतिशत कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर व्यय किया जाना आवश्यक है। अतः कृपया यह सुनिश्चित करावें कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुल व्यय राशि की कम से कम 30 प्रतिशत राशि व्यक्तिगत लाभ के कार्यों पर व्यय की जावे जिससे व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में पात्र व्यक्तियों/परिवारों का शत प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय

24/6/15
(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

PTO

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि
3. निजी सचिव, आयुक्त कृषि विभाग
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ),वन विभाग,अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र,जयपुर
7. निदेशक जलग्रहण विभाग एवं भू संरक्षण विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर
8. निदेशक उद्यान विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर
9. अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक,ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद, समस्त
10. अधिशाषी अभियंता (महात्मा गांधी नरेगा) जिला परिषद, समस्त
11. श्री रिंकु एम.आई.एस. मैनेजर को वैबसाइट पर अपलोड करने बाबत।

परि0 निदे0 एवं उप सचिव, ईजीएस